2025/147

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री सदाराम पुत्र श्री केसाजी निवासी आवरों की फली, धामसरा पोस्ट मूंगथला तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 23 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.05.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही को दिनांक 10.03.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 का नियम 8(ज) के तहत अपीलांट के द्वारा आवेदन किया गया, जिसके तहत प्रथम भीमाराम पुत्र अमराजी, दूसरा श्री जैसाराम पुत्र श्री फूलाजी, तीसरा श्री सदाराम पुत्र श्री केसाजी का नाम था, जिसमें से दो व्यक्तियों को वन अधिकार का पट्टा मिल गया, जबकि तीनों व्यक्तियों का लिस्ट में नाम होने के बावजूद अभी तक अपीलांट को पट्टा नहीं मिला है। उक्त पट्टा अपीलांट को नहीं मिलने से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही को दिनांक 10.03.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 का नियम 8(ज) के तहत अपीलांट के द्वारा आवेदन किया गया, जिसके तहत प्रथम भीमाराम पुत्र अमराजी, दूसरा श्री जैसाराम पुत्र श्री फूलाजी, तीसरा श्री सदाराम पुत्र श्री केसाजी का नाम था, जिसमें से दो व्यक्तियों को वन अधिकार का पट्टा मिल गया, जबकि तीनों व्यक्तियों का लिस्ट में नाम होने के बावजूद अभी तक अपीलांट को पट्टा नहीं मिला है। उक्त पट्टा अपीलांट को नहीं मिलने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मूंगथला से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन जरिए पत्र क्रमांक /लो.सू.अ./रेकर्ड/2025/55 दिनांक 17.03.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत मूंगथला को स्थानान्तरित कर दिया था। चूंकि लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मूंगथला के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर, सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner